भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

(74)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल संभाग कैंप भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4360 निगरानी प्रकरण कमांक-......................

तुलसीराम परमार आयु वयस्क,
आ0 श्री मोतीलाल परमार
निवासी-ग्राम बागमुगालिया,
तहसील-हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

गंगा प्रसाद परमार आयु वयस्क
आ0 स्व0 श्री भैरू सिंह परमार
निवासी ग्राम बागमुगालिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... उत्तरदाता

(12)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

16.10.2017

निगरानीकर्ता सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय नजूल एम0पी0 नगर वृत्त जिला भोपाल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 25/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 से असंतुष्ट, दुखी व क्षुब्ध होकर माननीय महोदय के समक्ष निम्नानुसार तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है:-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/17/4360

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नजूल एम.पी.नगर वृत्त जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दि. 4-9-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से यह कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में परिसीमा अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जो कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकारकरने में त्रुटि की गई है । 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किये बिना व आज्ञापक प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया है जिसके संबंध में विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के नामान्तरण में पिता की सहमति नहीं थी अत: वारिसान के द्वारा जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2003 आरएन 198 जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक लि0तथा एक अन्य विरूद्ध हिम्मतप्रसाद में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है :- "परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा-5-विलम्ब की माफी के लिये आवेदन-उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये-विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया-विलम्ब माफ किया गया ।" अत: उपरोक्त प्रकाश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नजूल एम.पी.नगर जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 4-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	